



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

सर्व शिक्षा अभियान,

समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: रा०प०नि०/ 2567/2013-14

लखनऊ, दिनांक : ०९ सितम्बर, 2013

विषय: इटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स के यात्राभत्ता भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 1608 दिनांक 11 जुलाई, 2013 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा इटीनरेंट टीचर्स एवं रिसोर्स टीचर्स के माह मार्च, 2013 से फरवरी, 2014 तक के मानदेय की धनराशि अवमुक्त करते हुए यात्राभत्ता के संबंध में पृथक से निर्देश भेजने हेतु उल्लेख किया गया था।

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 23-08-2013 के अनुसार इटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स के यात्राभत्ता हेतु व्यय जनपद स्तर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मद से वहन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः जनपद में कार्यरत समस्त इटीनरेंट एवं रिसोर्स टीचर्स के यात्राभत्ता का भुगतान जनपद स्तर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मद से वहन किया जाएगा।

कृपया जनपद में कार्यरत समस्त इटीनरेंट टीचर्स को यात्राभत्ता का वास्तविक व्यय अधिकतम ₹ 700/- की सीमा में प्रतिमाह एवं रिसोर्स टीचर्स को यात्राभत्ता का वास्तविक व्यय अधिकतम ₹ 800/- की सीमा प्रतिमाह की दर से पूर्व की भांति वित्तीय नियमों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें एवं प्रतिमाह व्यय विवरण राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

भवदीया,

(अमृता सोनी)

राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं०: अ०प०नि०/ 2567 /2013-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, संबंधित जनपद, उ०प्र०।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), संबंधित मण्डल, उ०प्र०।
3. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

(डा० शुभ ज्योत्सना त्रिपाठी)
अपर परियोजना निदेशक